निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1934 (श0)

(सं0 पटना 354) पटना, मंगलवार, 24 जुलाई 2012

गृह विभाग

अधिसूचनाएं
20 जुलाई 2012

बिहार विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अनुशंसा और अभियोजन की स्वीकृति) नियमावली, 2012

एस0ओ0 145, दिनांक 24 जुलाई 2012—विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा-45 की उप-धारा (2) सहपठित धारा-52 की उप-धारा (2) के खंड- (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** ।—(1) यह नियमावली बिहार विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अनुशंसा और अभियोजन की स्वीकृति) नियमावली- 2012 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा** ।—(1) इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37).

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार, बिहार द्वारा धारा-45 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त होने वाला प्राधिकरण ;

(ग) ''संहिता" से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किये गये हों।

3. **प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा करने हेतु समय-सीमा**।—प्राधिकरण अधिनियम की धारा-45 की उप-धारा (2) के संहिता के अधीन अनुसंधान अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की प्राप्ति होने से दस कार्य दिवसों के भीतर अनुशंसा अंतर्विष्ट करते हुए अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा।

4. **अभियोजन की मंजूरी के लिए समय-सीमा**।—राज्य सरकार, अधिनियम की धारा-45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण की अनुशंसा की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के भीतर अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेगी।

[सं0 ए/विविध (53)55/2011—6620]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 20th July 2012

Bihar Unlawful Activities (Prevention) (Recommendation and Sanction of Prosecution) Rules-2012

S.O. 145, dated 24th July 2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (f) of sub- section (2) of section 52, of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the State Government of Bihar hereby makes the following rules, namely:—

1. *Short title, extent and commencement*. —(1) These Rules may be called the Bihar Unlawful Activities (Prevention) (Recommendation and Sanction of Prosecution) Rules, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. *Definition*.—(1) In these Rules, Unless otherewise requires in the context.—

(a) "Act'' means the Unlawful Activites (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

(b) "Authority" means the Authority to be appointed by the Government of Bihar under sub-section (2) of Section 45;

(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(2) Words and expression used herein and not defined in these Rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Time limit for making a recommendation by the Authority*.—The Authority shall, under sub-section (2) of the Section 45 of the Act, make its report containing the recommendations to the State Government within ten working days of the receipt of the evidence gathered by the investigating officer under the Code.

4. *Time limit for sanction of prosecution*.—The State Government shall, under sub-section (2) of Section 45 of the Act, take a decision regarding sanction for prosecution within ten working days after receipt of the recommendations of the Authority.

[No. A/Misc.-(53)-55/2011—6620]

By order of the Governor of Bihar.

AMIR SUBHANI,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 354-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in